

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या-220 /I(2)/2026-05-04/2025(E-90770)
देहरादून: दिनांक 05 मार्च, 2026

कार्यालय ज्ञाप

देश के विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के प्रदर्शन को देखते हुए उनकी कार्य प्रणाली में सुधार हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2021 में कॉरपोरेट गवर्नेन्स गाइडलाइन्स (सी.जी.जी.) को जारी किया गया। वर्तमान में तकनीकी विकास एवं वित्तीय स्थिरता के आलोक में सी.जी.जी. में सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय कार्यों को भी सम्मिलित करते नई कॉरपोरेट गवर्नेन्स गाइडलाइन्स जारी की गयी हैं, जिसे समयबद्ध रूप से लागू किये जाने की अपेक्षा की गयी है। नई सी.जी.जी. के अनुसार निदेशक मण्डल के ढांचे, पदों की योग्यता एवं कार्यदायित्वों सहित वित्तीय एवं तकनीकी सुधारों को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त के आधार पर ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नियन्त्रणाधीन उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० (यूपीसीएल) द्वारा सी.जी.जी. को अंगीकृत करते हुए निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन कर दिया गया है। उक्त के दृष्टिगत प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया को तदनुसार निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।

अतः श्री राज्यपाल ऊर्जा विभाग के नियन्त्रणाधीन तीनों निगमों के प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के चयन हेतु पूर्व में कार्यालय ज्ञाप संख्या-629/I(2)/2021-05-16/2020 दिनांक 28 मई, 2021 से जारी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के नियमों को अतिक्रमित करते हुए सी.जी.जी. के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के चयन के लिए शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा सेवा के स्तर एवं अन्य शर्तों हेतु निम्नलिखित नवीन नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण नियमावली, 2026" है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
रिक्तियों व चयन प्रक्रिया का प्रारम्भ	2.	ऊर्जा विभाग द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के पदों की रिक्ति होने के 06 माह पूर्व से

		चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।
रिक्त पदों का विज्ञापन/परिचालन	3.	<p>रिक्तियों को न्यूनतम 02 समाचार पत्रों के राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संस्करणों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में विज्ञापित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त रिक्तियों की सूचना सभी राज्यों, केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय तथा सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा निगमों/कंपनियों को भी परिचालित की जायेगी और ऐसे राज्यों, विभागों/कंपनियों की एक सूची, पता सहित तैयार कर ली जायेगी। विज्ञापन के साथ सभी पदों के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र भी संलग्न किया जायेगा जो अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र उचित माध्यम से अर्थात् नियोक्ता के माध्यम से भेजा जायेगा;</p> <p>परन्तु यह कि साक्षात्कार की तिथि तक नियोक्ता के माध्यम से आवेदन पत्र केवल उस दशा में स्वीकार किया जायेगा जबकि अभ्यर्थी द्वारा स्वतन्त्र रूप से प्रेषित अपने आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन में निर्धारित अवधि में नियोक्ता को उचित माध्यम से आवेदन प्रेषित किये जाने का प्रमाण दे दिया जाय;</p> <p>परन्तु यह और कि आवेदन पत्र के प्रपत्र तथा इन नियमों में किसी अन्तर अथवा विरोधाभास के होने पर यह नियम प्रभावी होंगे।</p>
अनुशासनिक कार्यवाही	4.(क)	<p>अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता अधिकारी से अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच के संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें अभ्यर्थी के विरुद्ध वर्तमान में चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही की आख्या, पिछले 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का सार एवं मा10 सक्षम न्यायालयों में वादी/प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित होने का भी विवरण/प्रमाण-पत्र दिया जायेगा;</p> <p>परन्तु यह कि साक्षात्कार की तिथि तक नियोक्ता का उपर्युक्त प्रमाण पत्र केवल उसी दशा में स्वीकार किया जायेगा जबकि अभ्यर्थी द्वारा स्वतन्त्र रूप से प्रेषित अपने आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन में निर्धारित अवधि में नियोक्ता को उचित माध्यम से आवेदन प्रेषित किये जाने का प्रमाण दे दिया जाए।</p>
सतर्कता जांच (सार्वजनिक क्षेत्र)	4.(ख)	<p>राज्य के नियंत्रणाधीन विभागों/निगमों में कार्यरत अभ्यर्थियों के संबंध में सतर्कता प्रमाण-पत्र निदेशक सतर्कता से लिया जायेगा। केन्द्रीय विभागों/उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों से सतर्कता प्रमाण पत्र केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत लिया जायेगा।</p>

सतर्कता जांच (निजी क्षेत्र)	4.(ग)	<p>निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों से एक शपथ पत्र इस आशय का लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (SEBI), कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA), प्रवर्तन निदेशालय (ED), राजस्व अभिसूचना निदेशालय (DRI), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) अथवा राज्य सरकारों एवं भारत सरकार की अन्य संस्था द्वारा किसी प्रकार की आपराधिक अथवा सिविल कार्यवाही लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के नियोक्ता से भी इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा।</p> <p>निजी क्षेत्र की कम्पनियों के विषय में उनके टर्न ओवर एवं ऑडिटेड बैलेंस शीट के अतिरिक्त उनके बाजार पूंजीकरण तथा वित्तीय अनुपातों, विशेष रूप से ऋण एवं पूंजी अनुपात (Debt to Equity Ratio) की पिछले तीन वर्ष की जानकारी ली जायेगी। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के संबंध में पिछले 10 वर्षों के नियोक्ताओं का प्रमाण-पत्र भी लिया जायेगा।</p>																				
प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी	5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित स्कूटनी समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी की जाएगी। स्कूटनी समिति का अध्यक्ष अपर सचिव से अन्यून स्तर का अधिकारी होगा।																				
चयन समिति	6.	<p>आवेदन पत्रों की स्कूटनी के उपरान्त अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु निम्नानुसार समिति गठित होगी:-</p> <table border="1" data-bbox="641 1167 1537 1672"> <tr> <td>1.</td> <td>मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन</td> <td>:</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>राज्य/राज्य से बाहर स्थित शीर्ष संस्थान (IIT/IIM) के प्रमुख</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि</td> <td>:</td> <td>सदस्य</td> </tr> </table>	1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	:	अध्यक्ष	2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग	:	सदस्य	3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	:	सदस्य	4.	राज्य/राज्य से बाहर स्थित शीर्ष संस्थान (IIT/IIM) के प्रमुख	:	सदस्य	5.	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	:	सदस्य
1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	:	अध्यक्ष																			
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग	:	सदस्य																			
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	:	सदस्य																			
4.	राज्य/राज्य से बाहर स्थित शीर्ष संस्थान (IIT/IIM) के प्रमुख	:	सदस्य																			
5.	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	:	सदस्य																			
सेवा तथा पदों की प्रकृति	7.	इन पदों की प्रास्थिति सावधि प्रकृति की (Tenure Based) है। नियुक्ति के उपरान्त सभी पदों पर नियुक्ति की अवधि 03 वर्ष अथवा अधिवर्षता आयु (62 वर्ष) जो भी पहले हो, होगी। यदि राज्य सरकार का विनिश्चय हो जाए तो नियुक्त पदधारकों को 03 माह का अग्रिम नोटिस देकर इस अवधि में सेवा से पृथक																				



	<p>किया जा सकेगा।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के कार्यों का सम्यक् मूल्यांकन राज्य सरकार एवं निगम के मध्य गठित MoU में निर्दिष्ट Key Result Areas (KRA's) के आधार पर किया जायेगा।</p>
--	--


अध्याय-2

प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (कॉमर्शियल एवं एनर्जी अकाउन्टिंग/डिस्ट्रीब्यूशन एवं प्रोजेक्ट/वित्त), यूपीसीएल के पदों हेतु आयु, शैक्षिक योग्यता, वेतनमान आदि


<p>प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल वेतनमान: पे मैट्रिक्स लेवल-16-182200- 224100</p>	<p>8.क) आयु- विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष।</p> <p>शैक्षिक योग्यता- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक की उपाधि/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट/कॉस्ट अकाउन्टेन्ट/स्नातकोत्तर/एमबीए/स्नातक के साथ पीजीडीआईएम।</p> <p>इलेक्ट्रीकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्नातक अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रबंधन क्षेत्र की योग्यता रखते हों उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।</p> <p>अनुभव- विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी का कुल अनुभव 20 वर्ष एवं ऊर्जा क्षेत्र का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होना आवश्यक है। विद्युत वितरण/पारेषण/उत्पादन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।</p> <p>सेवा का स्तर-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त निदेशक/अधिशाली निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे। 2. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400-67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे-10000 अथवा 51300-73000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे। 3. उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त निदेशक पद पर 01 वर्ष एवं अधिशाली निदेशक/मुख्य अभियन्ता
--	---



	<p>स्तर-1/मुख्य महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।</p> <p>4. संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू० प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। प्रबन्ध निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रुपये से अधिक हो;</p> <p>परन्तु 40 से 60 वर्ष आयु सीमा की पात्रता रखने वाले केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं के निदेशक अथवा उनके समकक्ष राज्य की सेवाओं में कार्यरत अपर सचिव, प्रबन्ध निदेशक के पद हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव, सेवा का स्तर तथा शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान लागू नहीं होंगे;</p>
<p>निदेशक, (कॉमर्शियल एवं एनर्जी अकाउन्टिंग), यूपीसीएल वेतनमान: पे मैट्रिक्स लेवल-16-182200-224100</p>	<p>8.(ख) आयु-विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष।</p> <p>शैक्षिक योग्यता- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक की उपाधि (अभियन्त्रण में स्नातक को वरीयता दी जायेगी) अथवा एम0बी0ए0 एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) में उपयुक्त अनुभव।</p> <p>अनुभव-विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को कार्य का 15-17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। विद्युत वितरण/पारेषण के परिचालन व अनुसंधान का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।</p> <p>सेवा का स्तर-</p> <p>1. उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबंधक एवं उच्चतर पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।</p> <p>2. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400-67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे-8700 अथवा 43200-66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष</p>



	<p>से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे।</p> <p>3. उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/ मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-2/ महाप्रबन्धक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।</p> <p>4. संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रु० प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पदधारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रुपये से अधिक हो;</p>
<p>निदेशक (डिस्ट्रीब्यूशन एवं प्रोजेक्ट), यूपीसीएल वेतनमान: पे मैट्रिक्स लेवल-16-182200-224100</p>	<p>8.(ग) <u>आयु</u>-विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष।</p> <p><u>शैक्षिक योग्यता</u>-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक तथा अधिमानतः एम0बी0ए0 उपाधि।</p> <p><u>अनुभव</u>- विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का 15-17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।</p> <p><u>सेवा का स्तर</u>-</p> <p>1. उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।</p> <p>2. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400-67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे-8700 अथवा 43200-66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे।</p>



	<p>3. उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-2/ महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।</p> <p>4. संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम रू0 40 लाख प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित की जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below)के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रुपये से अधिक हो;</p>
<p>निदेशक (वित्त) यूपीसीएल, वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16 182200- 224100</p>	<p>8.(घ) आयु—विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष।</p> <p>शैक्षिक योग्यता— मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से Chartered Accountant/Cost and Mangement Accountant में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।</p> <p>अनुभव—विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को वित्त एवं लेखा क्षेत्र में कार्य का 15-17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबंधक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।</p> <p>सेवा का स्तर—</p> <p>1. राज्य सरकार के ऊर्जा निगम में कार्यरत मुख्य अभियन्ता स्तर-2 से अन्यून ऐसे अधिकारी (जो Chartered Accountant/Cost and Mangement Accountant की शैक्षिक योग्यता रखते हों) तथा जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, निदेशक, वित्त हेतु पात्र होंगे तथा इन अधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के पश्चात संदर्भित क्षेत्र में कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी।</p> <p>2. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400-67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे-8700 अथवा 43200-66000</p>



	<p>(आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे।</p> <p>3. उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2 से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी (जो Chartered Accountant/Cost and Mangement Accountant की शैक्षिक योग्यता रखते हों) तथा जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, निदेशक, वित्त हेतु पात्र होंगे। इन अधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के पश्चात संदर्भित क्षेत्र में कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी।</p> <p>4. संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम ₹ 40 लाख प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रुपये से अधिक हो।</p> <p>5. राज्य सरकार के निगमों/विभागों में कार्यरत मुख्य अभियन्ता स्तर-2 से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी भी निदेशक, वित्त हेतु पात्र होंगे जिन्हें रिसोर्स मोबिलाइजेशन बजट, कामर्शियल प्लानिंग तथा वित्तीय लेखा से सम्बन्धित कार्य का अनुभव हो एवं जिनके पास Chartered Accountant/Cost and Mangement Accountant की योग्यता हो। इन अधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बाद कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी;</p> <p>परन्तु 45 से 60 वर्ष आयु सीमा की पात्रता रखने वाले राज्य में कार्यरत राज्य वित्त सेवा के अपर सचिव से अन्यून स्तर के पद धारक की तैनाती की जा सकती हैं। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव सेवा का स्तर तथा शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान लागू नहीं होंगे।</p>
मौलिक नियुक्ति का स्पष्टीकरण	<p>9. अध्याय 2 में "मौलिक नियुक्ति" अथवा "मौलिक रूप से नियुक्त" का अर्थ यह है कि यह नियुक्ति संविदात्मक/तदर्थ नहीं होनी चाहिए। यद्यपि केन्द्र अथवा राज्य सरकार के राजकीय उपक्रमों</p>



		के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के पदों पर संविदा के आधार पर कार्यरत अभ्यर्थी तथा निजी क्षेत्र के अभ्यर्थी इस प्रावधान से आच्छादित नहीं होंगे। परन्तु केन्द्र अथवा राज्य सरकार के राजकीय उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के पदों पर तदर्थ अथवा कार्यवाहक रूप में कार्यरत अभ्यर्थी इस प्राविधान से आच्छादित होंगे।
चयन अथवा योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने की दशा में प्रावधान	10.	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० (यू०पी०सी०एल०) के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक, मानव संसाधन तथा निदेशक, वित्त के पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण न हो पाने, चयन के फलस्वरूप योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से रिक्त रहने की स्थिति में विभागीय मंत्री की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध निदेशक के पद पर राज्य सरकार के ऊर्जा निगमों में कार्यरत प्रबन्ध निदेशक/निदेशक या अखिल भारतीय सेवा/राज्य सेवा के अपर सचिव अथवा समकक्ष स्तर के पद धारक को तथा निदेशक के पद पर मुख्य अभियन्ता स्तर-1/अधिशासी निदेशक की तैनाती की जा सकती है।
तदर्थ सेवा विस्तार	11.	विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर यदि नवीन नियुक्ति किया जाना संभव न हो तो प्रबन्ध निदेशक अथवा निदेशक के पदधारकों के कार्यों का सम्यक् मूल्यांकन करने के उपरान्त यथाप्रक्रिया कार्यकाल में 02 वर्ष तक की अधिकतम अभिवृद्धि अधिवर्षता आयु सीमा के अन्तर्गत की जा सकेगी, जो एक बार में 01 वर्ष से अधिक नहीं होगी। निर्धारित कार्यकाल के पश्चात सेवाविस्तार नियम-7 में दिये गये प्राविधान के अनुसार विभागीय मंत्री की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से दिया जा सकता है।
सेवानिवृत्तिक लाभ की अनुमन्यता	12.	सेवानिवृत्तिक लाभ केवल उन्हीं पदधारकों को अनुमन्य होंगे जो प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के पद पर नियुक्ति से पूर्व मौलिक रूप से राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों यथा उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० (यूजेवीएनएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (पिटकुल) एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० (यूपीसीएल) अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में नियुक्त रहे हों तथा सम्बन्धित निगम अथवा विभाग में उनका धारणाधिकार सुरक्षित हो। यह लाभ सम्बन्धित मूल निगम अथवा मूल विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। अन्य अभ्यर्थियों को इस प्रकार के लाभों की अनुमन्यता नहीं होगी।
व्यावृत्ति	13.	इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी कठिनाई होने पर




		अथवा राज्य सरकार का विनिश्चय होने पर राज्य सरकार द्वारा इन नियमों में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।
निरसन	14.	इस नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त इस विषय पर जारी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० (यूपीसीएल) के समस्त पूर्व नियम निरसित समझे जायेंगे।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 220 / I(2)/2026-05-04/2025(E-90770), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
6. प्रबंध निदेशक, यूपीसीएल/पिटकुल/यूजेवीएनएल, देहरादून।
7. मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन०एस० डुगरियाल)
संयुक्त सचिव।